Roll No. .....

7

B. B. A. LL. B. & B. A. LL. B. (Second/Fourth Semester) and LL. B. (Second Semester) EXAMINATION, 2019

Paper Seventh

CONSTITUTIONAL LAW—II

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 36*

Note : The question paper is divided into two Parts—Part A and Part B. Part A carries total eight (08) questions of four (04) marks each. Part B carries total eight (08) questions of twenty (20) marks each, divided among four Units, with each Unit carrying two questions. Answer any *five* (05) questions from Part A and choosing *one* (01) question from each Unit a total of *four* (04) questions from Part B.

यह प्रश्न-पत्र दो भागों में विभाजित है—भाग 'अ' तथा भाग 'ब'। भाग 'अ' में प्रति प्रश्न चार (4) अंकों के कुल आठ

(08) प्रश्न हैं। भाग 'ब' में चार (04) इकाइयों में विभाजित कुल आठ (08) प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। भाग 'अ' से किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिये तथा भाग 'ब' की प्रत्येक इकाई से **एक** प्रश्न (01) चुनते हुए कुल **चार** (04) प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Part—A

(भाग—अ)

Note : Answer any *five* questions. All questions carry equal marks.

किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Explain the provisions of the Constitution of India regarding composition of High Courts. How are the Judges of the High Court appointed ?

   उच्च न्यायालयों के गठन से सम्बन्धित भारतीय संविधान के उपबन्धों की व्याख्या कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस प्रकार नियुक्ति होती है ?

2. What do you mean by 'Judicial Review' ? Explain

   'न्यायिक पुनर्विलोकन' से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट कीजिए।

3. What do you mean by 'doctrine of repugnancy' ? Discuss.

   'असंगतता के सिद्धान्त' से आप क्या समझते हैं ? व्याख्या कीजिए।

4. Differentiate between Article 352 and Article 356 of the Constitution.

   संविधान के अनुच्छेद 352 एवं अनुच्छेद 356 के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए।

5. Point out the main difference between Article 19 (1) (g) and Article 301 of the Constitution.

   संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (g) एवं अनुच्छेद 301 के मध्य अन्तर को इंगित कीजिए।

6. Write a note on 'doctrine of pleasure'.

   'प्रसादपर्यन्त के सिद्धान्त' पर एक टिप्पणी लिखिए।

7. Explain the procedure to amend the provision of the Constitution.

   संविधान के उपबन्ध को संशोधित करने की प्रक्रिया को समझाइए।

8. What do you mean by 'Sovereign Functions' ? Clarify.

   'प्रभुसत्तासम्पन्न कार्यों' से आपका क्या अभिप्राय है ? स्पष्ट कीजिए।

Part—B
(भाग—ब)

Note : All questions are compulsory. All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

UNIT—1
(इकाई—1)

9. Describe the 'Appellate Jurisdiction' of Supreme Court of India.

भारत के उच्चतम न्यायालय के 'अपीलीय क्षेत्राधिकार' का वर्णन कीजिए।

Or

(अथवा)

What do you understand by 'Independence of Judiciary' ? Make a critical comment on the independence of Judiciary in India.

'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' से आप क्या समझते हैं ? भारत में न्यायापालिका की स्वतंत्रता पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।

UNIT—2
(इकाई—2)

10. Discuss the administrative relations between Union and State. How does the Union enforce its administrative directions ?

संघ द्वारा राज्यों के मध्य प्रशासनिक सम्बन्धों की विवेचना कीजिए। संघ अपने प्रशासनिक निर्देशों को किस प्रकार प्रवर्तित करता है ?

Or

(अथवा)

When can Emergency be declared under Article 356 ? Discuss the effects of such proclamation of emergency.

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आपातकालीन स्थिति कब घोषित की जा सकती है ? ऐसी आपातकालीन स्थिति की घोषणा का क्या प्रभाव होता है ? वर्णन कीजिए।

UNIT—3
(इकाई—3)

11. What restrictions the state legislatures and the Parliament may impose on freedom of trade, commerce and intercourse ? Explain.

राज्य की विधानसभाएँ एवं संसद व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के अधिकार पर क्या निर्बन्धन लगा सकती हैं ? व्याख्या कीजिए।

Or

(अथवा)

Discuss the scope and protection available to Civil Servants under Article 311 of the Constitution of India.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत एक लोक सेवक को प्राप्त सुरक्षा के विस्तार की व्याख्या कीजिए।

UNIT—4
(इकाई—4)

12. Discuss the amending power of Parliament under Article 368, with special reference to the doctrine of 'basic structure' laid down by the Supreme Court in Keshvananda Bharati's case.

उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानन्द भारती वाद में प्रतिपादित मूल ढाँचे के सिद्धान्त का विशेष संदर्भ लेते हुए संसद की अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन की शक्ति की विवेचना कीजिए।

Or

(अथवा)

To what extent can State be liable for the torts committee by its servants ? Discuss with recent cases.

राज्य किस सीमा तक अपने सेवकों के अपकृत्यों के लिए दायित्वाधीन है ? अद्यतन वादों के साथ विवेचना कीजिए।